09-02-18

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, इटावा।

दिनांक 09.02.2018

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, इटावा में सिविल लाइन्स स्थित ***पुरानी दीवानी में जर्जर निष्प्रयोज्य भवनों के मलवों की नीलामी*** के दस न्यायालय, कक्ष भवन के मुख्य द्वार पर दिनांक 27.02.2018 को अपराहं काल 2:00 बजे की जायेगी। जो व्यक्ति अथवा संस्था को जनपद न्यायालय, इटावा में ***पुरानी दीवानी में जर्जर निष्प्रयोज्य भवनों के मलवों की नीलामी*** में भाग लेना हो वह उक्त दिनांक, समय व स्थान पर बोली बोलने हेतु उपस्थित हो। समस्त बोली दाताओं को बोली बोलने से पूर्व रूपये 30,000/–नकद जमानत के रूप में अग्रिम जमा करना होगा, जो बोली समाप्ति पर पात्र बोली बोलने वाले के अतिरिक्त अन्य बोली बोलने वालो को वापस कर दी जायेगी। सिविल लाइन्स स्थित ***पुरानी दीवानी में जर्जर निष्प्रयोज्य भवनों के मलवों की नीलामी*** में अधिकतम बोली दाता को नीलामी के पश्चात 3 दिन में बोली की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी। सिविल लाइन्स स्थित ***पुरानी दीवानी में जर्जर निष्प्रयोज्य भवनों के मलवों की नीलामी के उपरांत अन्तिम बोली दाता को उक्त मलवें को 15 दिवस मे उठा कर ले जाना होगा। इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक सूचना के उपरांत पुरानी दीवानी में जर्जर निष्प्रयोज्य भवनों के मलवें*** का निरीक्षण कर सकते है। नीलामी बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का सर्वाधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, इटावा को सुरक्षित रहेगा। नीलामी के सम्बन्ध में अन्य शर्तो की जानकारी केन्द्रीय नाजिर, नजारत जजी, इटावा से प्राप्त की जा सकती है।

9.2.18

(बादाम सिंह)
अध्यक्ष/
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–1, इटावा।

प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्न को प्रेषित :–

1. जिला अधिकारी, इटावा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
2. नाजिर विकास भवन, इटावा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, इटावा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. दस न्यायालय कक्ष भवन, इटावा के नोटिस बोर्ड हेतु।
5. जिला सूचना अधिकारी को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. अध्यक्ष/महामंत्री, जिला बार एसोसिएशन, इटावा – नोटिस बोर्ड के चस्पा हेतु।
7. अध्यक्ष/महामंत्री, सिविल बार एसोसिएशन,इटावा – नोटिस बोर्ड के चस्पा हेतु।
8. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, को समस्त ठेकेदारों को सूचनार्थ।
9. जनपद न्यायालय, इटावा की वेव–साइट पर सूचनार्थ।
10. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेव–साइट पर सूचनार्थ।
11. जिलाधिकारी, इटावा को शासन की वेव–साइट पर सूचनार्थ।

9.2.18

(बादाम सिंह)
अध्यक्ष/
अपर जनपद न्यायाधीश,